

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

लखनऊ

पत्रांक: यू0आई0डी0: UPFS/2019/1825/LCK/LUCKNOW/47/CFO

दिनांक: जनवरी, 20

2019

औपबन्धिक (PROVISIONAL) अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, की संस्तुति आख्या के अनुसार मेर्सस मैक इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल 38/26 खा, मीराबाई मार्ग अपोजिट गौरी अपार्टमेंट लखनऊ द्वारा प्लॉट नं0 16/सी0पी0-201, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में प्रस्तावित व्यवसायिक भवन जिसमें बेसमेंट+भूतल+04 तल प्रस्तावित है, जिसकी उंची 14.950 मीटर तथा प्लॉट एरिया 3087.11 वर्ग मीटर है। भवन का अधिभोग मकेन्टाईल/बिजनस श्रेणी, के अन्तर्गत मेर्सस मैक इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल 38/26 खा, मीराबाई मार्ग अपोजिट गौरी अपार्टमेंट लखनऊ, द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण -पत्र मकेन्टाईल/बिजनस श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन का अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक: अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 की आख्या व मानचित्र 01 सेट ।

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि

- 01- अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 02- मेर्सस मैक इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल 38/26 खा, मीराबाई मार्ग अपोजिट गौरी अपार्टमेंट लखनऊ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

लखनऊ,

विषय:- मेर्सस मैक इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल 38/26 खा, मीराबाई मार्ग अपोजिट गौरी अपार्टमेंट, लखनऊ द्वारा प्लॉट नं० 16/सी0पी0-201, वृद्धावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में प्रस्तावित व्यवसायिक भवन के अनुमोदन निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि यू0आई0डी0 संख्या: UPFS/2019/1825/LCK/LUCKNOW/47/CFO से मेर्सस मैक इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल 38/26 खा, मीराबाई मार्ग अपोजिट गौरी अपार्टमेंट, लखनऊ द्वारा प्लॉट नं० 16/सी0पी0-201, वृद्धावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में प्रस्तावित व्यवसायिक भवन का प्रोजेक्शनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण एन0बी0सी0-2016 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2012 द्वारा किया गया विवरण निम्नलिखित है:-

:-

भवन की संरचना:-

- 1- कुल भूखण्ड एरिया 3087.11 वर्ग मीटर है।
- 2- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के भूतल का कबर्ड एरिया 970.87 वर्ग मीटर, प्रथम तल का कबर्ड एरिया 960.09 वर्ग मीटर, द्वितीय तल का कबर्ड एरिया 1022.40 वर्ग मीटर व तृतीय तल का कबर्ड एरिया 973.01 वर्ग मीटर व चौथे तल का कबर्ड एरिया 973.09 वर्ग मीटर है।
- 3- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के बेसमेंट का कबर्ड एरिया 1038.11 वर्ग मीटर है।
- 4- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 14.950 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्डस श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2016 में मर्केटाईल / बिजनस श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डांचागत व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग :- प्रश्नगत भूखण्ड के सामने 60 मीटर चौड़ा रोड नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया मानको के अनुसार उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार व निकास द्वार की चौड़ाई 04.50 मीटर बांछनीय है।
- 2- सेटबैक:- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है:-
 - अग्रभाग- 06.10 मीटर।
 - पृष्ठ भाग- 06.10 मीटर।
 - पार्श्व भाग प्रथम- 06.10 मीटर।
 - पार्श्व भाग द्वितीय- 06.10 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन विनियामावली/एन0बी0सी0 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार मानचित्र में प्रस्तावित है जिसे सदैव अवरोध मुक्त व मोटरबुल रखा जाना अनिवार्य होगा। भवन में पोर्च का निर्माण, भवन निर्माण व विकास उपविधि-2008 के मानको के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

- 4- निकास मार्ग:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में दो एक्सटरनल स्टेयरकेश जिनकी चौड़ाई 01.50 मीटर एन0बी0सी0/भवन निर्माण व विकास उपविधि के अनुसार है। निकास मार्गों की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
- 5- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के बेसमेंट में 06 मीटर चौड़ाई का 01 रैम्प व 01.50 मीटर चौड़ाई के 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है।
- 6- रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में आवश्यक नहीं है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0-2016 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने अनिवार्य है :-

- 01- भूमिगत टैंक :- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में 50 के0एल0 पानी के क्षमता का भूमिगत टैंक बांछनीय है।
- 02- पम्प :- भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प व समकक्ष क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एल.पी.एम. क्षमता का जॉकी पम्प बांछनीय है जिसे स्वाचालित पद्धति पर भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0-3844-1989 के अनुसार अधिष्ठापित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 03- होजरील:- प्रश्नगत भवन के मानचित्र में होजरील, लैंडिंग वाल्व आई.एस.-3844 के मानको के अनुसार अंकित है।
- 04- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हार्डिईट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज पाईप तथा ब्रांच पाईप एवं फायर सर्विस इगलेट का प्राविधान आई0एस0 13039:1991 के अनुसार बांछनीय है।
- 05- वेटराईजर :- प्रश्नगत भवन के मानचित्र में वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार प्रस्तावित है जिसको पम्प रूम से भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0-3844-1989 के अनुसार संयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 06- स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार मानचित्र में प्रस्तावित है। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनों से किया जाना आवश्यक होगा।
- 07- हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :- प्रश्नगत भवन के मानचित्र में हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

- 08- स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुसार प्रस्तावित है ।
- 09- टैरिस टैंक :-प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक 10 हजार लीटर पानी के क्षमता का वांछनीय है ।
- 10- टैरिस पम्प:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्र में टैरिस पम्प 900 एल0पी0एम0 क्षमता का वांछनीय है ।
- 11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190-2010 के अनुसार वांछनीय है ।
- 12- एक्जिट साईन :- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में एक्जिट साईनेज प्राविधानित किए जाने होंगे ।
- 13- स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम:-
 ए0- फायर चेक डोर की रेटिंग 02एच रखा जाना अनिवार्य है ।
 बी0- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट सहित समस्त तलों पर स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।
- 14- पी0ए0 सिस्टम :-पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ।
- 15- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु एन0बी0सी0-2016, पार्ट-04 के प्रस्तर डी-03,डी-06,में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा
- 16- भवन में एन0बी0सी0-2016,पार्ट-04 के प्रस्तर 3.4.6.2 के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटरसेट)स्थापित कर उसमें भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाईटो तथा स्टीड बाई फायर पम्प,स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम को पृथक लाईन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा ।
- 17- यदि भवन में ग्लास फसाड का प्रयोग किया जाता है तो कुल एरिया का 10 प्रतिशत भाग खुला व प्रत्येक तल पर 02 ओपनिंग किया जाना अनिवार्य होगा ।

अतः आख्या उपरोक्तानुसार संस्तुति सहित अग्रसारित है ।

संलग्नक:मूल पत्र व मानचित्र
 दिनांक: जनवरी, 2019

(के0के0मिश्र) 19.01.19
 अग्निशमन अधिकारी
 पी0जी0आई0
 लखनऊ